न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला–(डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील कुमार -I, (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 50/2025 (GCMS 2025/98)

प्रार्थीगण

प्रार्थी :–

1. गिरधारी सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री मांगुसिंह भाटी जाति रावणा राजपूत निवासी रसाल तहसील कुचामन सिटी

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. फूल सिंह पुत्र नाथू सिंह

छीतर सिंह पुत्र नाथू सिंह के विधिक वारिसान्

2. भंवर सिंह पुत्र स्व. छीतर सिंह
3. बलवीर सिंह पुत्र स्व. छीतर सिंह
4. राम सिंह पुत्र स्व. छीतर सिंह
5. पुष्पा कंवर पत्नी स्व. छीतर सिंह अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 जाति सभी रावणा राजपूत निवासी रसाल तहसील कुचामन सिटी
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामन सिटी

प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 251 ए के तहत अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खेलने के लिये आवेदन पत्र

उपस्थित – श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

श्री प्रभुराम गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4, 5 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक :–24/03/2025

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसील कुचामन सिटी के राजस्व ग्राम रसाल के खसर नम्बर 1636/56 कुल रकबा 1.5600 हैक्टयर में आवेदक प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। आवेदक प्रार्थी को अपनी खातेदारीशुदा भूमि ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 1636/56 में आने–जाने के लिए रास्ता ग्राम रसाल के ही खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 1.5600 हैक्टयर की पश्चिम सींव के दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर एवं खसरा नम्बर 1326/57 की पूर्वी सीमा के दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर 06 मीटर चौड़ाई में ग्राम रसाल के खेत खसरा नम्बर 1636/56 की दक्षिण सींव में आने–जाने के लिए एवं कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य वेहीयान आदि को लाने ले जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मार्ग की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चाहे गये मार्ग का नजरी नक्शा जो परिशिष्ट 'क' है जिसमें प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क ABCD से दर्शित किया गया है। जिसको इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

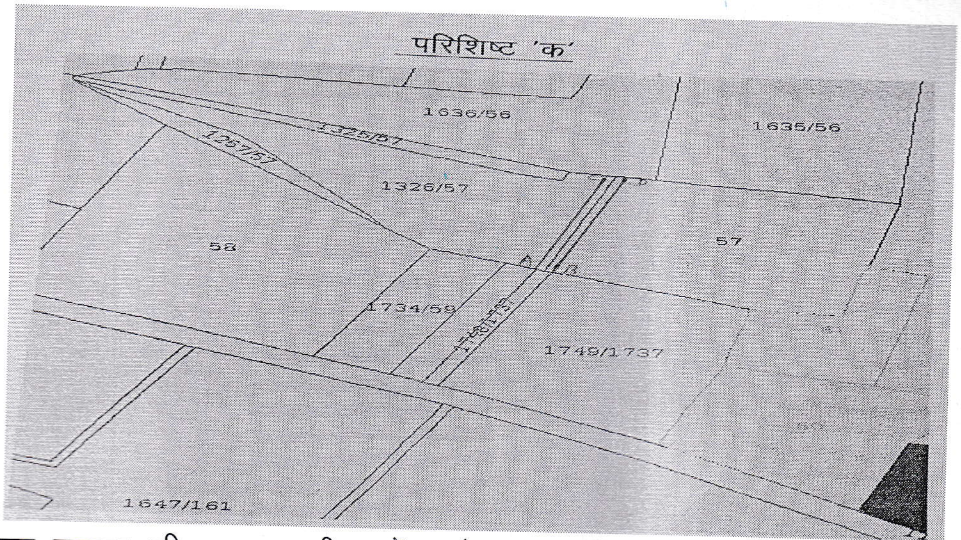

ग्राम रसाल की राजस्व सीमा में आवेदक प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1636/56 आया हुआ है। इस खेत में आने–जाने के लिए ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 57 व खसरा नम्बर 1326/57 में से आवेदक प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1636/56 में आने जाने एवं मवेशियान व कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं व परस्पर सहमति से ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 57 व खसरा नम्बर 1326/57 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1636/56 में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 57 व खसरा नम्बर 1326/57 से उत्तर दिशा की तरफ मौके पर प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता चालू है तथा आवारा पशुओं से फसल की रक्षा हेतु इस रास्ते पर प्रार्थी द्वारा पट्टिया आदि रोपकर तारबंदी की हुई है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1636/56 में आवागमन हेतु सबसे नजदीक यही रास्ता पड़ता है। खसरा नम्बर 1326/57 के खातेदार छीतर सिंह पुत्र नाथू सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए उनके विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 02 ता 05 को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत में सुचारू रूप से कृषि कार्य कर सके। प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' पेश किया है जो आवेदन पत्र का भाग समझा जावे। इस नजरी नक्शे में मार्क ABCD रास्ता बताया गया है। आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर चिरकाल से चालू मार्ग ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 57 व खसरा नम्बर 1326/57 में से परिशिष्ट 'क' में मार्क ABCD दर्शाया गया है [illegible] के रूप में उपलब्ध करवाया जाकर इस रास्ते के क्षेत्रफल की मांग पर खसरा नम्बर 57 व खसरा नम्बर 1326/57 के खातेदारों की खातेदारी निर्वसित घोषित कर भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावे। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित मुआवजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:40:45 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

राशि खसरा नम्बर 57 व खसरा नम्बर 1326/57 के खातेदारान को अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 06 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रश्नगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में उन्होने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1939 दिनांक 20.03.2025 को मौका रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 26.02.2024 को तैयार कर प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

प्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा प्रकरण में राजीनामा निम्नवत् प्रस्तुत किया है :-

<u>राजीनामा :-</u>

उपर्युक्त अनुवान प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1636/56 में आने-जाने एवं ट्रेक्टर व मवेशियान को लाने ले जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी फूल सिंह के खेत खसरा नम्बर 57 की पश्चिमी सीमा में से दक्षिण से उत्तर 10 फीट चौड़ा व अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के खेत खसरा नम्बर 1326/57 की पूर्वी सीमा के सहारे-सहारे 10 फीट चौड़ा दक्षिण से उत्तर रहेगा। इस प्रकार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1636/56 में आने जाने के लिए रास्ता कुल 20 फीट चौड़ा अप्रार्थीगण के खेतों में से रहेगा। प्रार्थी के खेत में आने-जाने के लिए जो रास्ता दिया गया है उसका नजरी नक्शा निम्वत् है जिसमें रास्ता मार्क ABCD से दर्शित किया गया है। जिसको राजीनामा का अभिन्न अंग समझा जावे।

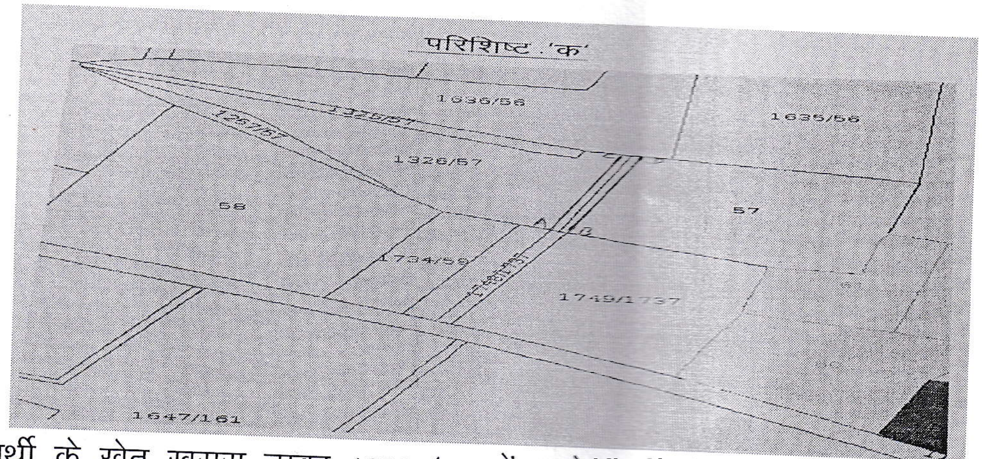

प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1636/56 में आने-जाने के लिए जो 20 फीट चौड़ा रास्ता जो अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1326/57 व खसरा नम्बर 57 में से दिया गया है जो मौके पर चालू है। उसके मुआवजे की राशि हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से प्राप्त कर ली गई है। कोई मुआवजा राशि शेष नहीं रही है। राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि ग्राम रसाल पटवार मण्डल रसाल के खसरा नम्बर 1636/56 में आने जाने हेतु ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 57 की पश्चिमी सीमा में से दक्षिण से उत्तर 10 फीट चौड़ा व खसरा नम्बर 1326/57 की पूर्वी सीमा के सहारे-सहारे 10 फिट चौड़ा दक्षिण से उत्तर में रास्ता चाहा गया है।

प्रार्थी व अप्राथीगण द्वारा भी राजीनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र अनुसार ही रास्ता कायम करवाने के लिए सहमत है। प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा राशि प्रार्थी से प्राप्त कर लेने का कथन किया है। प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार कुचामनसिटी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.03.2025 अनुसार ग्राम रसाल पटवार मण्डल रसाल तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा 1636/56 में आमद रफत एवं आने जाने व मवेशी, गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जोन के लिए फर्द मौका दिनॉक 20.03.2025 में **A, B, C, D** अनुसार ग्राम रसाल पटवार मण्डल रसाल तहसील कुचामन सिटी 1326/57 में से 110 मीटर लम्बाई X 3 मीटर चौड़ाई = 330 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 57 में से 110 मीटर लम्बाई X 3 मीटर चौड़ाई = 330 वर्गमीटर कुल रकबा 660 वर्गमीटर अर्थात् 0.066 हैक्टर प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है। प्रार्थी नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू **A, B, C, D** अनुसार रास्ता कायम करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निम्नानुसार आदेश दिये जाते है :-

-: आदेश :-

ग्राम रसाल पटवार मण्डल रसाल तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा 1636/56 में आमद रफत एवं आने जाने व मवेशी, गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिए फर्द मौका दिनॉक 20.03.2025 में **A, B, C, D** अनुसार ग्राम रसाल पटवार मण्डल रसाल तहसील कुचामन सिटी 1326/57 में से 110 मीटर लम्बाई X 3 मीटर चौड़ाई = 330 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 57 में से 110 मीटर लम्बाई X 3 मीटर चौड़ाई = 330 वर्गमीटर कुल रकबा 660 वर्गमीटर अर्थात् 0.066 हैक्टर राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में ही मुआवजा राशि लेने का कथन किया है। इसलिए मुआवजा राशि अब प्राप्त नहीं की जानी है। तहसीलदार कुचामन सिटी को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ता अमलदरामद कर नक्शे में तरमीम करें। फर्द मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा व प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21/05/2025 को सर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:40:45 IST
Reason: SelfAttested

(श्री सुनील कुमार -I, (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी, (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते